भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा उत्पादन विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 469
04 फरवरी, 2022 को उत्तर के लिए

रक्षा उपकरणों का विनिर्माण

469. श्री संजय सदाशिवराव मांडलिकः
श्री रविन्दर कुशवाहाः
श्री बिद्युत बरन महतोः
श्री विवेक नारायण शेजवलकरः
श्री रवि किशनः
श्री सुधीर गुप्ताः
श्री मनोज तिवारीः
श्री श्रीरंग आप्पा बारणेः
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः
श्री प्रतापराव जाधवः

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसी 351 उप-प्रणालियों और घटकों की एक ताजा सूची जारी की है जिनको चरणबद्ध समयसीमा के तहत आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का निकट भविष्य में उक्त सूची में और अधिक मदें जोड़ने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का भारत को सैन्य प्रणालियों और उपकरणों के विनिर्माण का केंद्र बनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप देश में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की संभावना है;

(ड.) उक्त सूचीबद्ध मदों पर आयात-संबंधी प्रतिबंध लगाने के बाद रक्षा-उपकरण विनिर्माण के क्षेत्र में भारतीय विनिर्माता कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(च) उन स्वदेशी कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने सूचीबद्ध रक्षा-मदों के विनिर्माण में रुचि दिखाई है?

उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क) एवं (ख): रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और डीपीएसयू द्वारा आयात को कम करने के सतत अनुसरण में सरकार ने 27 दिसंबर, 2021 को सब-सिस्टम्स/असेम्बलीज/सब-असेम्बलीज/कांपोनेन्ट्स की एक सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची अधिसूचित की है। सूची में 2500 मदें शामिल हैं जिन्हें पहले ही स्वदेशीकृत किया जा चुका है और अन्य 351 मदें जिनके लिए उनके समक्ष दर्शाई गई समय-सीमा से परे आयात करने संबंधी प्रतिबंध होगा। सकारात्मक स्वदेशी सूची में मदों का समावेशन एक सतत प्रक्रिया है जो भारतीय रक्षा उद्योग में सृजित क्षमताओं के स्तर पर निर्भर करती है।

(ग) से (ड.): भारत को एक वैश्विक रक्षा विनिर्माण केन्द्र बनाने के उद्देश्य से सरकार ने विगत वर्षों में 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के तहत कुछ नीतिगत पहलें की हैं और देश में रक्षा उपस्कर के स्वदेशी अभिकल्पन, विकास और विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए सुधार के प्रयास किए गए हैं जिसके द्वारा आने वाले वर्षों में आयात पर निर्भरता कम होगी। इन पहलों में अन्य बातों के साथ-साथ रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी)-2020 के तहत घरेलू स्रोतों से पूंजीगत मदों की अधिप्राप्ति को प्राथमिकता प्रदान करना; सेनाओं की कुल 209 मदों की दो 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूचियों और डीपीएसयू की कुल 2851 मदों की एक सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची को अधिसूचित करना जिनके लिए उनके समक्ष दर्शाई गई समय-सीमा से परे आयात संबंधी प्रतिबंध होगा; लंबी वैधता अवधि के साथ औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया का सरलीकरण स्वचालित मार्ग के अंतर्गत 74% एफडीआई अनुमत करके एफडीआई नीति का उदारीकरण; मेक प्रक्रिया का सरलीकरण; स्टार्टअप्स और एमएसएमई सहित रक्षा उत्कृष्टता (आईडीईएक्स) हेतु नवाचार को लांच करना; सार्वजनिक अधिप्राप्ति (मेक इन इंडिया का प्राथमिकता) आदेश 2017 का कार्यान्वयन; एमएसएमई सहित भारतीय उद्योग द्वारा स्वदेशीकरण को सुगम बनाने हेतु सृजन नाम के स्वदेशी पोर्टल को लांच करना; निवेश को बढ़ाने पर जोर देते हुए ऑफसेट नीति में सुधार और रक्षा विनिर्माण को और अधिक बढ़ावा देते हुए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण; उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु दोनों में एक-एक रक्षा औद्योगिक गलियारे की स्थापना करना शामिल है। सरकार द्वारा की गई पहलों के फलस्वरूप वर्ष 20-21 में स्वदेशी स्रोतों से पूंजीगत अधिप्राप्ति के बजट में 64% तक की वृद्धि हुई है।

(च): सरकार ने रक्षा मदों के विनिर्माण के लिए भारतीय कंपनियों को दिसम्बर 2021 तक 556 लाइसेंस जारी किए हैं। इसके साथ ही 266 विक्रेताओं ने सृजन पोर्टल पर अपलोड की गई मदों के स्वदेशीकरण के लिए रुचि दिखाई है।

******